राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

क्रमांकः–एफ15( ) सा.सु./ भिक्षा.नि./सान्याअवि/23/ 76513 जयपुर दिनांक 30/1/2023

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 की पालना में जिला मुख्यालय पर बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एंव असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह (राजकीय भवन निर्मित होने तक अस्थाई रूप से) एवं भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोडने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का संचालन किया जाना है।

राज्य सरकार उक्त योजना में स्वयं सेवी संस्था की महत्वपूर्ण भागीदारी के दृष्टिगत रखतें हुए बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं, असहाय/निराश्रित एंव भिखारियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ पंजीकृत इच्छुक स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों के साथ ''अभिरूचि की अभिव्यक्ति'' जारी कर **दिनांक 10 फरवरी 2023** तक प्रस्ताव आमन्त्रित कियें जाते है। इच्छुक स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट अपना आवेदन पत्र, संबंधित जिलें के जिला कार्यालय को प्रेषित कर सकेगें। स्वयं सेवी संस्थाओं को निम्न क्रम से चयन में प्राथमिकता दी जावेगीः–

1 जो स्वयं सेवी संस्था गृह का संचालन स्वयं के भवन में एवं बिना अनुदान मांग के करेगी।

2 जो स्वयंसेवी संस्था गृह के संचालन हेतु भवन किराये की मांग करेगी/ राजकीय भवन/किराये का भवन उपलब्ध कराने पर गृह के संचालन हेतु किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं करेगी।

3 जो स्वयं सेवी संस्था गृह का संचालन स्वयं का भवन निःशुल्क उपलब्ध करवायेगी तथा संचालन हेतु अनुदान की मांग करेगी।

4 जो स्वयं सेवी संस्था भवन एवं संचालन हेतु अनुदान की मांग करेगी।

नोटः– आवेदन पत्र, पात्रता एवं शर्ते विभागीय वेबसाईट sje.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक–एफ16( ) सा.सु./ विशा.नि./सान्याअवि/23/ 76514-19 जयपुर दिनांक 30/1/2023

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति को राज्य स्तर के दैनिक समाचार–पत्र मे प्रकाशन करावें।

2 निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।

3 निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।

4 उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.........................को भेजकर लेख है कि उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

5 सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास।

30/1/23

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)